COVID-19/URGENT

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
Email:dghealth.uttarakhand@gmail.com,Tel:0135-2608763/36, Fax:-0135-2608746

पत्रांक–पी0ए0–डी0जी0एम0एच0 / 2020 / 164 दिनांक 26 जून, 2020

प्रेषित,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः–डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, आप अवगत ही हैं कि वर्तमान में COVID-19 के संक्रमण दर में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है तथा वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से डेंगू के संक्रमण के बढ़ने की सम्भावना भी बढ़ जाती है। उत्तराखण्ड राज्य में डेंगू को ***Notifiable Disease*** घोषित करने की अधिसूचना ''उत्तराखण्ड महामारी (मलेरिया एवं डेंगू) विनियम, 2019'' दिनांक 27 सितम्बर, 2019 को जारी की जा चुकी है, जिसमें निहित समस्त तकनीकि एवं प्रशासनिक कार्यवाहियां जनपद स्तर पर क्रियान्वयन किया जाना है।

अतः इस क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 के बचाव के साथ–साथ डेंगू से रोकथाम हेतु अपने–अपने जनपदों में निम्न व्यवस्था करना सुनिश्चित करें:–

1. डेंगू के रोकथाम हेतु जनजागरूकता व जन सहभागिता हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार कर आई0ई0सी0 संसाधनों का समुचित व समयान्तर्गत उपयोग करें।
2. डेंगू की जांच हेतु पर्याप्त मात्रा में ***ELISA Kit*** जांच किट व अन्य जांच समग्री की उपलब्धता रखें।
3. जनपद के चिकित्सालयों में भारत सरकार के गाईडलाईन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही जैसे पृथक डेंगू आईसोलेशन वार्ड आदि की व्यवस्था रखें तथा आईसोलेशन वार्ड हेतु नोडल अधिकारी नामित करें।
4. डेंगू रोग पर नियंत्रण हेतु लार्वा निरोधात्मक कार्यवाही (सोर्स रिडक्शन) अभियान की तरह संचालित की जायें।
5. डेंगू रोग के नियंत्रकण हेतु समस्त चिकित्सालयों में औषधि एवं उपकरण की पर्याप्त मात्रा में रख रखाव।

26/06/2020

(अमिता उप्रेती)
महानिदेशक,
स्वास्थ्य सेवायें, उत्तराखण्ड।

<u>संख्याः–पी0ए0–डी0जी0एम0एच0 / 2020 / 164 (1) तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक (चि0स्वा0), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्साधीक्षक, जिला / उप जिला चिकित्सालय, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि डेंगू रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु अपने–अपने चिकित्सालयों में सम्पूर्ण व्यवस्था रखा जाना सुनिश्चित करें।
5. नोडल अधिकारी–आई0डी0एस0पी0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. कार्यालय आदेश पंजिका।

(अमिता उप्रेती)
महानिदेशक
स्वास्थ्य सेवायें, उत्तखण्ड।

Scanned with CamScanner